प्रकरण संख्या 21/2022 धुलिया व अन्य बनाम गवजी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कब्बा की छायन में खातेदार जेमा पिता जोगडा के खाते की आराजी नंबर 13, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 46, 66, 67, 68 कुल किता 14 रकबा 14.85 एकड भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम बोरकुण्डा में खातेदार जवरा पिता जुगडा के खाते की आराजी नंबर 87, 88, 89, 114, 115, 119, 128, 129, 130 कुल किता 9 रकबा 11.96 हैक्टर भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम बोरकुण्डा में खातेदार सुरपाल पिता जुगडा के खाते की आराजी नंबर 120 से 126, 164, 165, 180 कुल किता 10 रकबा 18.80 हैक्टर भूमि स्थित है एवं इसी प्रकार कुण्डा खातेदार कवरा पिता जुगडा के खाते की आराजी नंबर 52, 72, 73, 17, 166 से 170, 177, 188 कुल किता 11 रकबा 12.44 हैक्टर भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम कब्बा की छायन एवं बोरकुण्डा की उक्त कृषि आराजियात जोगडा के चारों पुत्रों के नाम उपरोक्तानुसार पृथक–पृथक दर्ज हुई। जोगडा की वंशावली वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूलपुरूष जोगडा के चार पुत्र सुरपाल, कवरा, जवरा व जेमा हुए, जिसके खाते में उपरोक्तानुसार आराजियात दर्ज है। वादीगण जेमा के पुत्र हैं। ग्राम कब्बा की छापर की उपरोक्त खाता रकबा 14.85 एकड वक्त सेटलमेन्ट जेमा पिता जोगडा के नाम दर्ज हुआ, किन्तु उक्त खाते की आराजी नंबर 18 रकबा 0.24 एकड, आराजी नंबर 19 रकबा 1.56 एकड, आराजी नंबर 28 रकबा 2.34 एकड, आराजी नंबर 29 रकबा 2.65 एकड का 1/2 हिस्सा कुल खेत 4 रकबा 4.30 एकड जेमा के बड़े भाई जवरा के हिस्से व कब्जे की थी, किन्तु वक्त सेटलमेन्ट जेमा के खाते दर्ज हुई। उक्त 4 खेत रकबा 4.30 एकड जवरा के कब्जे में होने से [illegible] के नाम दर्ज करने की सहमति दी गयी, किन्तु राजस्व कर्मचारि[illegible] से सम्पूर्ण खाते में जोगडा के दो पुत्र हो[illegible]/2 हिस्[illegible]नाम दर्ज कर दिया गया। वादीगण के पिता की अविभाजित कृषि आराजी नंबर 86/60	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:07 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.46 एकड व खसरा नंबर 60 रकबा 0.40 एकड कुल 0.86 एकड जमीन जो जेमा को आवंटित हुई थी उसमें 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। ऐसी स्थिति में 4.30 हैक्टर भूमि जवरा के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु 1/2 हिस्सा ही दर्ज हुई, जो गलत है। यही नहीं जवरा की मृत्यु पर नामान्तकरण संख्या 40 दिनांक 29.09.1992 को खोला गया, उमसें जवरा का एक पुत्र मडिया बताया, जबकि जवरा के चार पुत्र मडिया, हवसिंह, हरसेंग, परथेंग व पत्नी मौजूद थी, जबकि नामान्तरकरण सिर्फ मडिया के नाम खोला गया। अतः खतौनी कमांक खाता संख्या 19 नई 16 पुरानी कुल खसरा 16 रकबा 15.71 एकड का नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 22.09.1992 से किये गये सहकृषक जवरा पिता जोगडा का नाम निरस्त कर वादीगण के नाम पूर्ण खाता दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि ग्राम कब्बा की छायन की आराजी नंबर 13, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 46, 66, 67, 68 कुल किता 14 रकबा 14.85 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की पैत्रक होकर जोगडा के समय से चली आ रही है तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण अपने परदादा के समय से काबिज चले आ रहे हैं तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण का पैत्रक हक अधिकार है तथा इस पर प्रतिवादीगण के मकान बने हुए हैं। स्वयं वादीगण ने राजीखुशी से सहमति पूर्वक प्रकरण संख्या 83/1992 दिनांक 30.06.1992 को भूमिधारी की उपस्थिति में जवरा का नाम सही दर्ज कराया है। वाद पत्र की कलम संख्या 5 में अंकित आराजी नंबर 86/60 व 60 कुल रकबा 0.86 एकड जवरा व जेमा ने मिलकर नोतोड निकाली है उसका भी विभाजन किया जावे।

प्रतिवादीगण के प्रतिदावे का जवाब वादीगण ने प्रस्तुत कर प्रतिदावे को झूठा बताया तथा वादीगण वाद स्वीकार करने एवं प्रतिवादीगण का प्रतिदावा खारिज करने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में [illegible] तन[illegible]ां कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 30.08.2022 से प्रतिवादीगण का दावा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:07 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं ता.अ.अं.
उदयपुर (राज.)

का वाद खारिज कर दिया, जिससे होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री जयदीपसिंह राणावत उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है। अपीलान्ट ने मात्र 4 खेत सर्वे नंबर 18, 19 व 28, 29 का आधा हिस्सा कुल रकबा 4.30 हैक्टर जो जेमा के बडे भाई जवरा के हिस्से व कब्जे की थी, इसलिए जेमा ने सहमति दी, लेकिन जेमा के अनपढ़ होने से उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ में जवरा ने अपीलान्ट धुलिया पिता जेमा को पक्षकार बनाकर वाद प्रस्तुत किया एवं उक्त वाद के जरिये यह निर्णय किया कि धुलिया, रमसू व वर्घा बेवा जेमा अपीलान्ट का आधा भाग व जवरा पिता जोगडा का आधा भाग आदेश पारित किया, जबकि वास्तव में जेमा के वारिसान अपीलान्ट ने मात्र उक्त 4 खेतों बाबत् ही अपनी सहमति दी थी। इसके बावजूद अपीलान्ट के पिता को आवंटित सर्वे नंबर 86/60 व सर्वे नंबर 60 कुल खेत 2 रकबा 0.40 एकड भूमि में भी आधा हिस्सा जवरा के नाम दर्ज कर दिया, किन्तु न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित नहीं की गयी एवं नामान्तरकरण संख्या 39 व 40 दोनों एक ही दिन दिनांक 06.08.1992 व 24.09.1992 रेस्पोन्डेन्ट ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा लिया, जबकि जोगडा के वारिस जवरा, जेमा, कवरा, सुरपाल जोगडा के समय से ही सेटलमेन्ट के समय खाते अलग-अलग दर्ज हुए तथा सभी को मौके पर कृषि भूमि प्राप्त हुई, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का [illegible]

हमने बहस पर [illegible] दस्तावेजों का अध्ययन [illegible] के अनुसार ग्राम कब्बा की [illegible] 14 रकबा 14.85

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:07 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

एकड़ जो वक्त सेटलमेन्ट जेमा के नाम दर्ज हुआ, उसमें से मात्र आराजी नंबर 18, 19, 28 व 29 कुल खेत 4 रकबा 0.40 एकड में 1/2 हिस्सा स्व. जेमा के बड़े भाई जवरा के हिस्से कब्जे की होने से उसके नाम दर्ज करने की सहमति दी है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए उक्त खाते के सम्पूर्ण आराजी नंबर 13, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 46, 66, 67, 68 कुल किता 14 रकबा 14.85 हैक्टर में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया, जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 07/2019 में पारित निर्णय एवं डिक्री 30.08.2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में बनायी गयी तनकियों का पुनः साक्ष्यों के आधार पर विवेचन करते हुए विधि के आलोक में नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.09.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:07 IST
Reason: SelfAttested